U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy la[;k 315@2017

vihykUV बनाम **jLiksUMsUVl**

vihykUV

1. इमृति पत्नी खेरदीन निवासी– फूलासर तहसील भणियाणा।
2. जेवतों पत्नी शोभे खॉ निवासी–खेजडली, भणियाणा।
3. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार निवासी बी–17,हरीनगर जयपुर
4. अब्दुल करीम पुत्र रेशमखॉ
5. ओमद पुत्र अजीमखॉ
6. खेरदीन पुत्र अजीमखॉ निवासीगण पन्नासर तहसील भणियाणा।

jLiksUMsUVl

1. चैनकंवर पुत्र स्व0 भूरसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह हाल निवासी– रोडा, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. भंवरसिंह पुत्र भूरसिंह के का0मु0
   1. अमरसिंह पुत्र
   2. श्रीमती पारूकंवर पत्नी भंवरसिंह निवासी–दांतल तहसील भणियाणा
3. भोमसिंह पुत्र प्रतापसिंह निवासी– दांतल तहसील भणियाणा।
4. रूपकंवर पत्नी देवीसिंह निवासी– ग्राम सावउ पदमसिंह हाल– दांतल तहसील भणियाणा
5. सरपंच ग्राम पंचायत दांतल तहसील भणियाणा जैसलमेर।

द्वितीय राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 भू– राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश दिनांक 7.4.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व अपील संख्या 08/2013 अनवान चैनकंवर बनाम भंवर सिंह वगैराह में पारित किया गया।

mifLFkfr%&&

1. श्री बरकतखॉ मेहर, अधिवक्ता अपीलाटस की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

fu.kZ;

fnukad 23 tuojh] 2020

1. अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत की ओर से उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 08/2013 अनवान चैनकंवर बनाम भंवर सिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दांतल तहसील भणियाणा के कृषि भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 143.04 बीघा, खसरा संख्या 2 रकबा 61.10 बीघा एवं खसरा संख्या 15 रकबा 212.18 बीघा भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पूर्वज श्री भूरसिंह पुत्र जेठमलसिंह के नाम से पुश्तैनी भूमि आई हुई थी। खातेदार भूरसिंह के देहान्त उपरान्त फौतेदगी नामा0 संख्या 6 में भूरसिंह के पुत्रों यथा भंवरसिंह एवं प्रतापसिंह के नाम दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत दातंल के द्वारा दिनांक 30.11.1963 को स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामा0 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा उनकी अपील को दिनांक 7.4.2017 को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या6 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए स्व0 भूरसिंह के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर उनके नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही के निर्देश दिये। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.04.2017 को प्रस्तुत की है।

3. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पो संख्या 2 ता 4 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया परन्तु अन्तिम सुनवाई दिनांक 15.01.2020 को वकील रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया।

4. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि उनके द्वारा दिनांक 24.4.2017 को न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करते हुए न्यायालय को अवगत कराया था कि प्रथम अपील विचाराधीन रहते हुए दिनांक 4.3.2016

को ही रेस्पो0 संख्या एक का देहान्त हो चुका था परन्तु इसकी जानकारी उनके भाईयों को होने के बावजूद भी उनके द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रखा और त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि अपील प्रकरण में एकमात्र अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु 90 दिन की अवधि तक कोई कार्यवाही होने पर अपील स्वतः ही अबेट मानी जाती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया था।

5. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि इससे पूर्व वर्तमान अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण उसे रेस्पो0 संख्या एक पक्षकार बना दिया गया था। ऐसे में एकमात्र मृतक रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में पारित अपीलाधीन आदेश निल एण्ड वॉईड है। अतः द्वितीय अपील स्वतः ही उपसमित होने से इस प्रकरण अपील में मृतक चैनकंवर रेस्पो0 संख्या एक के नाम के आगे फौत शब्द अंकित कर उसे डिलीट किया जाना तथा द्वितीय अपील में नये आधार भी जोडा जाना न्यायसंगत है। दिनांक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक चैनकंवर के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 6 के स्वीकृत होने के लगभग 50 वर्ष उपरान्त प्रथम अपील पेश की थी जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्दर म्याद शुमार किया गया जो नियम विरूद्ध था। उक्त प्रथम अपील केवल म्याद बिन्दू के आधार पर खारिज करने योग्य थी।

6. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 भूरसिंह के दो पुत्रों क्रमशः भंवरसिंह एवं प्रतापसिंह के नाम से स्वीकृत होने के उपरान्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने हिस्से में दर्ज हुई वादग्रस्त भूमि को आगे से आगे बेचान कर दिया तथा भूमि हस्तान्तरण कर दी गई और क्रेताओं

के द्वारा उक्त खरीद की गई भूमि पर आवास बना रहना भी प्रारम्भ कर दिया जिन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से पक्षकारान नहीं बनाया गया और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई। विशेषकर खसरा संख्या 120 की कृषि भूमि के वर्तमान रेकर्डेड खातेदारों को कतई पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में न्याय का सिद्धान्त है कि सभी हितबद्ध पक्षकारान को अपील में पक्षकार संस्थित किये बिना पारित करवाये गये निर्णय विधि की दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहते हुए ही रेस्पो0 संख्या 2 का देहान्त हो गया परन्तु उनके कायम मुकाम को पक्षकार संयोजित नहीं किया। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 4.3.2016 को श्रीमती चैनकंवर का देहान्त हो गया था जिसकी जानकारी उनके भाईयों को थी परन्तु उनके द्वारा इसकी सूचना प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं दी। अपीलान्ट जेवन्तों पत्नी शोभेखॉ को भी गलत पक्षकार बनाया गया जबकि उनके द्वारा अपनी मालिकाना हक की भूमि का आग बेचान गुलाबसिंह पुत्र सवाई सिंह को कर दिया। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिस पर कोई आदेश नहीं दिया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय नजीरें प्रस्तुत की गई यथा आरआटी 2013 (2) पेज 1415, आरआटी 2010 (2) पेज 1458, आरआटी 2015 (1) पेज 232, सीसीसी 2001 (3) पेज 678, सीसीसी 2005 (3) पेज 462,

8. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपने हक–हिस्से का किसी प्रकार से खुलासा अंकित नहीं किया है और न ही किसी प्रकार से कब्जा/काश्त होना बताया है और न

ही अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 चैनकंवर के हक–हिस्से दर्शाने बाबत कोई आदेश अपीलाधीन आदेश में दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक गौर करते हुए अपीलान्टस की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.4.2017 को निरस्त किया जावे एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 6 को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया जावें।

9- हमने उपस्थित अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक के द्वारा की बहस गई पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा प्रथम अपील में यह अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है कि '' ग्राम दांलत के अपीलाधीन नामा0 संख्या 6 स्वीकृत दिनांक 30.11.1963 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार भणियाणा इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि को दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए स्व0 भूरसिंह के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर उनके नाम से नामान्तरकरण निस्तारण की कार्यवाही करे साथ ही विधिक वारिसान द्वारा किये गये बेचान पर भी नियमानुसार साथ में कार्यवाही करे।''

10- इस सम्बन्ध में **g**मारी विनम्र राय यह है कि अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील में उपरोक्त वादग्रस्त खसरान के पूर्व खातेदार स्व0 भूरसिंह के देहान्त उपरान्त उनके पुत्रों के नाम स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 06 को निरस्त किये जाने से पूर्व वर्तमान समय की जमाबन्दी में अंकित खातेदारों को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि वादग्रस्त भूमि का आगे से आगे बेचान होने के तथ्य अपीलाधीन आदेश में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वयं ने अंकित किये गये है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक को वादग्रस्त खसरान भूमि में से अलग–अलग समय में हुए बेचान कार्यवाही पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, जबकि राजस्व न्यायालय को

इस प्रकार से पंजीकृत बेचान दस्तावेज के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में म्याद अवधि को कन्डोन किये जाने के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त निर्णय अपीलाधीन आदेश में नहीं दिया गया है। पारित करने में कोई विधिक त्रृटि नहीं की है क्योंकि जब तक सक्षम न्यायालय स्तर पर सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित डिक्री निर्णय को निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील अस्वीकार जाने योग्य है।

11- अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/ki|j